



फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अपालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....~~रमेशलाल~~..... बनाम.....~~देवीलाल~~.....

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 108 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>13⁶/₂₀₂₃</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रमेशलाल - श्याम - शोति - केसर - राम - जानी - उम - उमबाई -</u> पिता श्री <u>हेमराज एवं रमेशलाल पत्नी हेमराज गाडरी</u> निवासी- <u>भंडारिया</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सेती</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1797, 1783, 1789, 1790, 1791 मी., 1942</u></p> <p>कुल कीता <u>6</u> कुल रकबा <u>6.1800</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सेती</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1797, 1783, 1789, 1790, 1791 मी., 1942</u></p> <p>कुल कीता <u>6</u> रकबा <u>6.1800</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000=00</u> रुपये अक्षरे <u>21 हजार 2000</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (रमेश चन्द खड्की) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p> <div style="text-align: right;">  </div>